कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति (अनाज) विशिष्ट श्रेणी कोटा (राज0)

क्रमांक : /2022–23/ 3788

श्रीमान प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अरण्य भवन, झालाना, जयपुर।

प्रति श्रीमान उप वन संरक्षक
कोटा।

दिनांक : 19/12/22

विषय :– प्रस्तावित भूमि को ग्रीन बेल्ट से हटाकर अन्यत्र हस्तान्तरित करने के क्रम में।
संदर्भ :– भामाशाह कृषि उपज मण्डी समिति के 96 हैक्ट0 वन भूमि के डायवर्जन प्रस्ताव के क्रम में आपका पत्रांक एफपी/आरजे/Others/20036/2016 द्वारा उप वन संरक्षक कोटा

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख कर निवेदन है कि राज्य सरकार द्वारा कोटा के भामाशाह कृषि मण्डी के विस्तार हेतु मण्डी से लगी हुई वन भूमि में से 96 हैक्ट0 भूमि के डायवर्जन प्रस्तुत प्रस्तुत किये है, जिसके मुख्य कारण निम्न है :–

1. मण्डी का निर्माण लगभग 30–35 वर्ष पूर्व हुआ था। तब भूमि की आवश्यकता नहीं थी और 25 वर्षो तक मण्डी सुचारू रूप से चलती आ रही है।
2. परन्तु विगत 10 वर्षो से व्यापारियों के यहां नीलामी में आने वाली कृषि जिन्सों की मात्रा कई गुणा बढ़ गई है और कृषकों के पास अपने स्वयं के ट्रेक्टर आ जाने से एवं सडके अच्छी होने से मण्डी में दूर–दूर से किसान अपने साधनों से यथा ट्रेक्टर मय ट्रॉली, ट्रकों से राजस्थान, मध्यप्रदेश व उत्तर प्रदेश से अपना माल बेचने हेतु आने लग गये है, जिससे मण्डी यार्ड में स्थान कम पडने लग गया है।
3. यद्यपि प्रशासन द्वारा व्यवस्था का पूरा प्रयास किया जाता है। परन्तु भारी मात्रा में साधनों की आवक होने से आस–पास के आद्योगिक इकाईयां व मण्डी बन्द हो जाती है और कभी–कभी तो तीन–चार दिन तक मण्डी में जगह नहीं होने से गेट बन्द किये जाने से 10 किमी. क्षेत्र में जाम लगा देते है और स्थानीय प्रशासन व मण्डी प्रशासन मजबूर हो जाता है। व्यापारियों एवं औद्योगिक इकाईयों के मालिकों ने मण्डी प्रशासन को वन भूमि के प्रस्ताव को भेजने का सुझाव दिये जाने के क्रम में 96 हैक्ट0 वन भूमि के प्रस्ताव विचाराधीन है।

जब उक्त प्रस्ताव को डीएफओ कोटा के यहां भेजा गया तक जांच में पता चला कि उक्त भूमि सीईसी द्वारा ग्रीन बेल्ट हेतु निर्देशित की गई है। इस बाबत पूर्व डीएफओ एवं वर्तमान डीएफओ साहब द्वारा जांच में पाया कि यहां कि चट्टानी भूमि होने से वृक्षारोपण संभव नहीं है।

अतः इस पत्र के माध्यम से आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त प्रकरण राज्य स्तरीय मिट्टी गेटिव मेर्जस कमेटी के यहां प्रस्तुत कराकर इस भूमि को मुक्त कराकर इसके स्थान पर अन्यत्र वन भूमि पर ग्रीन बेल्ट डवलप करने के आदेश कराकर अनुग्रहित करें।

(जवाहर लाल नागर)
सचिव
कृषि उपज मण्डी समिति (अनाज) कोटा

वन विभाग

।। कार्यालय उप वन संरक्षक, कोटा।।

(Nayapura, Civil Lines Raj Bhawan Road Kota. Email ID-dcf.kota.forest@rajasthan.gov.in)
दूरभाष नं0–0744-2322747

क्रमांकः–एफ ( )उवसं/तक./ 2022/7283

निमित्तः–

सचिव

आमाशाह मण्डी कोटा

दिनांकः 23.8.22

564
/08/2022

विषयः– आमाशाह मण्डी से प्राप्त ऑनलाइन प्रस्ताव के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि उच्च कार्यालय से निम्न प्रकार आक्षेप प्राप्त हुआ है

1 24.06 है0 मे प्रत्यावर्तन प्रस्ताव प्राप्त होने से पुर्व ही वन भूमि पर दुकान, सडक आदी का निर्माण करवा दिया गया है, जिसमे जिम्मेदार अधिकारी/कर्मचारी का पूर्ण विवरण उपलब्ध करावे।

2 प्रस्तावित स्थल में 6 कि. मी. व 2कि.मी. कुल 8कि.मी. दीवार हेतु 2.12 करोड राशी जमा कि जानी है जिसका वचनबद्वता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे।

उक्त आक्षेपो की पूर्ती तत्काल प्रभाव से कर कार्यालय में प्रेषित करे ताकि अग्रिम कार्यावाही की जा सके।

उप वन संरक्षक
कोटा

कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति (अनाज) विशिष्ट श्रेणी कोटा (राज0)

क्रमांक : /2022–23/ 3791

दिनांक : 19-12-22

श्रीमान उप वन संरक्षक
नयापुरा, कोटा।

विषय :– Land for Extension of Bhamashah Krishi Upaj Mandi Samiti Rajasthan (Proposal No. FD/RJ/Others/20036/2016)

संदर्भ :– कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अरण्य भवन, झालना, जयपुर का पत्रांक एफ. 14(105/10)2016/एफसीए/प्रमुवसं/3993–95 दिनांक 29.11.2022 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अरण्य भवन, झालना, जयपुर द्वारा लगाये गये आक्षेपों की पूर्ति कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है। कृपया उचित कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्न : 03 किता

(जवाहर लाल नागर)
सचिव
कृषि उपज मण्डी समिति
(अनाज) कोटा

O/C

कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति (अनाज) विशिष्ट श्रेणी कोटा (राज0)

क्रमांक : /2022–23/3788

दिनांक : 19.12.2022

श्रीमान प्रधान मुख्य वन संरक्षक
अरण्य भवन, झालना, जयपुर
द्वारा श्रीमान उप वन संरक्षक, कोटा

विषय :– प्रस्तावित भूमि को ग्रीन बेल्ट से हटाकर अन्यत्र हस्तान्तरित करने के क्रम में।
संदर्भ :– भामाशाह कृषि उपज मण्डी समिति के 96 हैक्ट0 वन भूमि के डायवर्जन प्रस्ताव के क्रम में आपका पत्रांक एफपी/आरजे/Others/20036/2016

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख कर निवेदन है कि राज्य सरकार द्वारा कोटा के भामाशाह कृषि मण्डी के विस्तार हेतु मण्डी से लगी हुई वन भूमि में से 96 हैक्ट0 भूमि के डायवर्जन प्रस्तुत प्रस्तुत किये है, जिसके मुख्य कारण निम्न है :–

1. मण्डी का निर्माण लगभग 30–35 वर्ष पूर्व हुआ था। तब भूमि की आवश्यकता नहीं थी और 25 वर्षो तक मण्डी सुचारू रूप से चलती आ रही है।
2. परन्तु विगत 10 वर्षो से व्यापारियों के यहां नीलामी में आने वाली कृषि जिन्सों की मात्रा कई गुणा बढ़ गई है और कृषकों के पास अपने स्वयं के ट्रेक्टर आ जाने से एवं सडके अच्छी हो जाने से मण्डी में दूर–दूर से किसान अपने साधनों से यथा ट्रेक्टर मय ट्रॉली, ट्रकों से राजस्थान, मध्यप्रदेश व उत्तर प्रदेश से अपना माल बेचने हेतु आने लग गये है, जिससे स्थान व सडके कम पडने लग गई है।
3. यद्यपि प्रशासन द्वारा व्यवस्था का पूरा प्रयास किया जाता है। परन्तु भारी मात्रा में साधनों की आवक होने से आस–पास के औद्योगिक इकाईयां व मण्डी बन्द हो जाती है और कभी–कभी तीन–चार दिन तक मण्डी में जगह नहीं होने से गेट बन्द किये जाने से 10 किमी. क्षेत्र में जाम लगा देते है और स्थानीय प्रशासन व मण्डी प्रशासन मजबूर हो जाता है। व्यापारियों एवं औद्योगिक इकाईयों के मालिकों ने मण्डी प्रशासन को वन भूमि के प्रस्ताव को भेजने का सुझाव दिये जाने के क्रम में 96 हैक्ट0 वन भूमि के प्रस्ताव विचाराधीन है।

जब उक्त प्रस्ताव को डीएफओ साहब कोटा के यहां भेजा गया तब जांच में पता चला कि भूमि सीईसी द्वारा ग्रीन बेल्ट हेतु निर्देशित की गई है। इस बाबत पूर्व डीएफओ एवं वर्तमान डीएफओ द्वारा जांच में पाया कि यहां कि चट्टानी भूमि होने से वृक्षारोपण संभव नहीं है।

अतः इस पत्र के माध्यम से आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त प्रकरण राज्य स्तरीय मिट्टी मेर्जस कमेटी के यहां प्रस्तुत कराकर इस भूमि को मुक्त कराकर इसके स्थान पर अन्यत्र वन भूमि ग्रीन बेल्ट डवलप करने के आदेश कराकर अनुग्रहित करें।

(जवाहर लाल नागर)
सचिव
कृषि उपज मण्डी समिति
(अनाज) कोटा

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान,
अरण्य भवन, झालाना सांस्थानिक क्षेत्र, जयपुर–302004

क्रमांक: एफ. 14(105/10)2016/एफसीए/प्रमुवसं./ 3993 दिनांक 29/11/22

मुख्य वन संरक्षक,
कोटा

विषयः– Land for extension of Bhamashah Krashi Upaj mandi Samiti Rajasthan.
(Proposal No. FP/RJ/Others/20036/2016)

सन्दर्भः–आपका पत्रांक 6789 दिनांक 16.11.2022

महोदय,

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र से प्राप्त प्रस्ताव का परीक्षण उपरांत निम्नांकित बिन्दुओ पर सूचनाएँ/स्पष्टीकरण दिया जाना अपेक्षित है:–

1. बिन्दु संख्या 2 की पालना के क्रम में पार्ट ।। में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उलंधन करने वाले अधिकारियों के नाम अंकित कर दिये गये है किन्तु उप वन संरक्षक द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 की मार्गदर्शिका 2019 के पैरा 1.21 के अनुसार तथ्यात्मक रिपोर्ट संलग्न नही की गयी है।
2. बिन्दु संख्या 4 की पालना के क्रम में उप वन संरक्षक द्वारा पार्ट ।। में एन0एफ0एल भूमि पर प्रचलित मॉडल की प्रति लगाया जाकर क्षतिपूर्ती योजना संलग्न की गयी है। प्राप्त गैर वन भूमि पर 1100 पौधे लगाया जाना संभव नही है अतः एन0एफ0एल भूमि पर कितने पौधे लगाया जाना है यह स्पष्ट नही है। अतः लगाये जाने वाले 96000 पौधों के अनुसार योजना बनायी जाकर संलग्न किया जाना प्रस्तावित है।
3. बिन्दु संख्या 5 की पालना के क्रम में उप वन संरक्षक द्वारा पार्ट ।। में 6 कि0मी0 नवीन दीवार एवं 2 कि0मी0 पुरानी दीवार की राशि हेतु यूजर ऐजेन्सी की वचनवद्वता संलग्न कर दी गयी है किन्तु प्रसताव के साथ संलग्न क्षेत्रीय वन अधिकारी लाडपुरा की रिपोर्ट अनुसार 3314 र0मी0 दीवार का नुकसान होना है। तदनुसार टिप्पणी अपेक्षित है।
4. बिन्दु संख्या 6 की पालना के क्रम में उप वन संरक्षक द्वारा पार्ट ।। में गैर वन भूमि मॉडल अनुसार योजना संलग्न की गयी है किन्तु भारत सरकार के दिशा निर्देशों के क्रम में निर्धारित प्रपत्र में योजना संलग्न नही है।
5. बिन्दु संख्या 7 की पालना के क्रम में उप वन संरक्षक द्वारा पार्ट ।। में पारिभ्रषित वन भूमि मॉडल अनुसार योजना संलग्न की गयी है किन्तु भारत सरकार के दिशा निर्देशों के क्रम में निर्धारित प्रपत्र में योजना संलग्न नही है।
6. बिन्दु संख्या 9 की पालना के क्रम में उप वन संरक्षक द्वारा पार्ट ।। में संशोधित स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न कर दी गयी है। स्थल निरीक्षण रिपोर्ट दो वर्ष से पुरानी है अतः नवीन स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न किया जाना प्रसतावित है।
7. बिन्दु संख्या 10 की पालना के क्रम में मुख्य वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट आनलाईन संलग्न नही है।
8. बिन्दु संख्या 12 की पालना के क्रम में मुख्य वन संरक्षक द्वारा अभिशंषा ऑनलाईन संलग्न नही है।
9. मुख्य वन संरक्षक कोटा द्वारा दिनांक 20.4.2018 को प्रेषित रिपोर्ट में उक्त क्षेत्र सी0ई0सी0 द्वारा अन्य एफ0सी0ए0 के प्रकरण में ग्रीन बैल्ट के रूप में विकसित करने के निर्देश दिये गये है अतः इस क्रम में सी0ई0सी0 से उक्त बिन्दु पर छूट प्राप्त करने के उपरांत ही प्रसताव अग्रेषित करने हेतु लिखा गया था। उक्त बिन्दु पर कार्यवाही अभी भी अपेक्षित है।
10. लागत लाभ विश्लेषण भारत सरकार के नवीन निर्देशो एवं नवीन दरों पर नही बनाया गया है।
11. उप वन संरक्षक द्वारा संलग्न स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र में यह स्पष्ट नही है गैर वन भूमि में कितने पौधे लग पायेगे एवं शेष पौधों को कहॉ लगाया जावेगा एवं उसकी स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र भी संलग्न किया जाना प्रस्तावित है।
12. प्रकरण में 1998 में एफ0आई0आर काटी हुई है जिसका वर्तमान स्थिति क्या है पूछा जाना प्रस्तावित है।
13. यूजर ऐजेन्सी द्वारा पार्ट । में मात्र अणतपुरा में 96 है0 वन भूमि प्रत्यावर्तन को प्रसतावित की गयी है जबकि उक्त भूमि अणतपुरा में 72.34 है0 एवं उम्मेदगंज में 23.66 है0 वन भूमि प्रस्तावित है तद्नुसार संशोधन अपेक्षित है।
14. प्रस्ताव में गैर वन भूमि दो ग्रामों गुंरायता में 74 है0 एवं बोरीनाखुर्द में 22 है0 प्रदान की गयी है अतः पार्ट । के बिन्दु संख्या एल0 में तद्नुसार संशोधन प्रसतावित है।

भवदीया,

Shikha

(शिखा मेहरा)
अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ. 14(105/10)2016/एफसीए/प्रमुवसं./3994-95 दिनांक 29/11/22

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. उप वन संरक्षक, कोटा
2. Krishi Upaj Mndi Samity, Kota, Rajasthan-324005

(दिनेश कुमार गुप्ता)
उप वन संरक्षक (एफ.सी.ए.)
अरण्य भवन, जयपुर